राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः F9(4)/A.Y.2025-26/sch./06732-6850252-PF(3)-8158794 दिनांकः 06.03.2026

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया-2024 को निम्न बिन्दुओं में संशोधनों सहित शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रभावी किया जाता है :-

बिन्दु संख्या	संशोधन
2.1	राजकीय/निजी/Deemed/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा Scholarship Portal पर प्रतिवर्ष Online पंजीयन Aadhaar based biometric Login के माध्यम से किया जावेगा। पंजीयन हेतु समस्त विवरण का इन्द्राज कर Portal पर चाहे गये समस्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से Upload किये जायेंगे।
2.3	(अ) पूर्व से छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों को सम्बन्धित विभाग के Educational Institute Approver (EIA) द्वारा योजना के नियमानुसार निर्धारित पात्रता का परीक्षण कर Portal पर University/Board/Council के रूप में Aadhaar based biometric Login के पश्चात् नवीनीकृत किया जायेगा। **नवीन प्रावधान** (ब) **<u>नवीन विश्वविद्यालय/ बोर्ड/काउन्सिल के पंजीयन की प्रक्रिया</u>** राजस्थान राज्य में स्थित नवीन University/Board/Council के Scholarship Portal पर प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के EIA के Login में प्रदर्शित होंगे। EIA द्वारा योजना के नियमानुसार व निर्धारित पात्रता के परीक्षण उपरान्त Scholarship Portal पर Aadhaar based biometric Login द्वारा नवीन University/Board/Council को छात्रवृति पोर्टल पर सत्यापित किया जायेगा। EIA द्वारा सत्यापित उक्त नवीन University/Board/Council Portal के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रदर्शित होगें। जिलाधिकारी 15 दिवस में उक्त का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य रूप से कर Geo Tagging के साथ OTP द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को Approved/Reject करेगा, यदि जिलाधिकारी उक्त कार्य को 15 दिवस में नहीं करता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी। इन प्रस्तावों को

RajKaj Ref No.: 20902218

	Approved/Reject करने हेतु जिलाधिकारी के Login पर Approved/Reject Button व Text Box दिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रस्ताव State Admin (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को Scholarship Portal पर प्रदर्शित होंगे। State Admin प्रस्तावों का परीक्षण कर व संबंधित जिलाधिकारी की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट व Geo Tagging के आधार पर योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रतानुसार Scholarship Portal पर University/Board/Council को Aadhaar based biometric के द्वारा अनुमोदित करेगा। State Admin नवीन University/Board/Council का पंजीयन से पूर्व निदेशक, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करेगा। **<u>नवीन शिक्षण संस्थान के पंजीयन की प्रक्रिया</u>** (स) राजस्थान राज्य में स्थित नवीन शिक्षण संस्थान के प्रस्ताव सम्बन्धित University/Board/Council के Nodal Officer के login में प्रदर्शित होंगे। University/Board/Council के Nodal Officer द्वारा योजना के नियमानुसार व निर्धारित पात्रता के परीक्षण उपरान्त Scholarship Portal पर Aadhaar based biometric login द्वारा इन शिक्षण संस्थानो को छात्रवृति पोर्टल पर सत्यापित करेगा। University/Board/Council के Nodal Officer से सत्यापित किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव Scholarship Portal के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रदर्शित होगें। जिलाधिकारी 15 दिवस में उक्त का भौतिक निरीक्षण कर Gio Tagging के साथ OTP द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को सत्यापित करेगा, जिलाधिकारी 15 दिवस में नवीन शिक्षण संस्थान का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य रूप से कर Geo Tagging के साथ OTP द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को Approved/Reject करेगा, यदि जिलाधिकारी उक्त कार्य को 15 दिवस में नहीं करता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी। इन प्रस्तावों को Approved/Reject करने हेतु जिलाधिकारी के Login पर Approved/Reject Button व Text Box दिया जायेगा। जिलाधिकारी के सत्यापन के साथ ही शिक्षण संस्थान Scholarship Portal पर प्रदर्शित होगा। जिलाधिकारियों द्वारा नवीन शिक्षण संस्थानों के सत्यापित किये गये प्रस्ताव राज्य स्तरीय Nodal Officer के Login पर नवीन शिक्षण संस्थान के रूप मे प्रदर्शित होगें।
2.4	प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य में स्थित राष्ट्रीय/राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त/Deemed/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान राज्य से बाहर स्थित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर के शिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं को University/Board/Council के रूप में पंजीकृत किये गये प्रस्ताव का Online सत्यापन संबंधित विभाग के EIA द्वारा

RajKaj Ref No.:
20902218

	छात्रवृति पोर्टल पर Aadhaar based biometric के माध्यम से किया जावेगा तथा नवीन सत्र के बैच की मान्यता सत्यापन हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया जावेगा। (राजस्थान राज्य से बाहर स्थित निजी शिक्षण संस्थान इस योजना में सम्मिलित नहीं है।)
3.1	राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थान के रूप में स्वयं का ऑनलाइन पंजीयन AISHE CODE एवं Aadhaar based biometric के माध्यम से किया जावेगा तथा प्रतिवर्ष नवीन सत्र के बैच की मान्यता का सत्यापन हेतु पंजीयन नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय के Nodal Officer द्वारा Aadhaar based biometric login के माध्यम से किया जावेगा। **<u>राजकीय शिक्षण संस्थानों (राज्य/भारत सरकार द्वारा स्थापित, प्रबन्धित एवं वित्त पोषित) हेतु शिथिलता</u>** गत वर्ष में Scholarship Portal पर पंजीकृत राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर के Institute/University/Board/Council आयुक्त/निदेशक, सामा.न्याय एवं अधि. विभाग की अनुमति उपरान्त आगामी सत्र हेतु Carry Forward किये जा सकते है।
3.2	राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाओं के प्रकरणों में Nodal Officer के बदलने की स्थिति में शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधान संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को नवीन Nodal Officer नियुक्त करने हेतु प्रमाणिक दस्तावेज प्रेषित करेगें । जिला स्तरीय अधिकारी शिक्षण संस्थान से प्राप्त दस्तावेजों के प्रमाणीकरण उपरान्त दस्तावेजों को Scholarship Portal पर Upload कर नवीन Nodal Officer की SSO ID को Scholarship Portal पर Map करने का कार्य करेगा। जिसका पुराना व अद्यतन किया गया विवरण Audit Trail में प्रदर्शित होगा।
3.3	Scholarship Portal पर पंजीकृत संस्थानों की SSO ID संस्था प्रभारी के आधार से Linked होगी। राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थान के रूप में स्वयं का Online पंजीयन AISHE CODE एवं Aadhaar based biometric के माध्यम से किया जावेगा तथा प्रतिवर्ष नवीन सत्र के बैच की मान्यता का सत्यापन हेतु पंजीयन नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय के Nodal Officer द्वारा Aadhaar based biometric Login के माध्यम से किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
20902218

4.2	विद्यार्थी केवल स्वयं की Aadhaar Linked SSO ID / ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन OTR एवं Aadhaar based biometric authentication के आधार पर ही होगा।
4.11	छात्रवृत्ति राशि केवल संबंधित विद्यार्थी के Aadhaar Linked/Seeded/DBT Enabled बैंक खाते में ही DBT की जावेगी।

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः F9(4)/A.Y.2025-26/sch./06732-6850252-PF(3)-8158794 दिनांकः 06.03.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग / मेडिकल शिक्षा विभाग/ जनजाति क्षेत्रीय विकास / कृषि / श्रम विभाग शासन सचिवालय, जयपुर आदि को अपने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित संस्थानों को सर्कुलेट कर क्रियान्वयन कराने हेतु।
4. जिला कलक्टर समस्त ।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)/अतिरिक्त निदेशक (पि.जा.)/ देवनारायण योजना, मुख्यावास।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) आई.टी., मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया 2024 मय संशोधन शैक्षणिक सत्र 2025-26 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोडकरवाये जाने के साथ-साथ उक्त छात्रवृत्ति मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित समस्त प्रावधानों की छात्रवृतित पोर्टल पर पालना सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय सलाहकार/ उप निदेशक (छात्रवृति)/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार), मुख्यावास।
9. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ....(समस्त) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनार्थ।
10. समस्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल/शिक्षण संस्थानों को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.:
20902218